

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-01/ खा०-१०/२०१५-१६

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, की संकल्प संख्या-4671 दिनांक-19/12/2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को खादी पुर्नरूप्दार योजना के तहत चरखा/करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है।

उक्त संकल्प के कंडिका 04 के अनुसार संस्था/समिति को अनुदान एवं ऋण निर्गत करने के पूर्व संस्था/समिति से एक एकरारनामा किया जाना उल्लेखित है।

बोर्ड पत्रांक खा०/21 पटना, दिनांक-16/05/2017 के द्वारा खादी पुर्नरूप्दार योजनान्तर्गत बिहार के खादी संस्था/समितियों को ऋण के रूप में कार्यशील पूँजी वितरण से संबंधी बनाये गये एकरारनामा पर श्री आनन्द कुमार, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय पटना से कानूनी सलाह की माँग की गई थी, इस आलोक में श्री कुमार के द्वारा दी गई कानूनी सलाह के विरुद्ध प्रस्तुत बील मो 4,000/- (चार हजार) रुपये मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूप्दार योजना मद में प्राप्त योजना के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक एवं खादी बोर्ड में EOI की नियुक्ति एवं संचालन पर होने वाले व्यय मद से किया जायेगा।

सहायक लेखा पदाधिकारी अंकेक्षण/खादी पुर्नरूप्दार योजना को निदेश है कि रेखांकित चेक द्वारा श्री आनन्द कुमार, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय पटना को भुगतान करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

५/५/१७

ज्ञापांक- ४९०९/१२९

पटना, दिनांक- ०५/५/२०१७

प्रतिलिपि :- श्री आनन्द कुमार, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एम०आई०जी०-१५६ हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना ८०००२० को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

५/५/१७

ज्ञापांक- ४९०९/१२९

पटना, दिनांक- ०५/५/२०१७

प्रतिलिपि :- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशास्त्रा पदाधिकारी (खादी)/सहायक लेखा पदाधिकारी (अंकेक्षण/खादी पुर्नरूप्दार योजना)/सहायक खादी पुर्नरूप्दार योजना/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

५/५/१७

५/५/१७